announce that Government Business during the week commencing Monday, the 11th March, 2002; will consist of :-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's order paper.

2. Consideration and passing of the following Bills:-

   (a) The Consumer Protection (Amendment) Bill, 2001

   (b) The Inter-State Water disputes (Amendment) Bill, 2001 as passed by the Lok Sabha.

   (c) The National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 1995.

   (d) The code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 2000.

3. Discussion on Motion of Thanks on the President's Address.

4. General Discussion on the General Budget for 2002-03.

REFERENCE ON THE INTERNATIONAL WOMEN' S DAY

THE DEPUTY CHAIRMAN (DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA) : Sir, thank you very much for giving me this opportunity, and I am happy that the HRD Minister, Dr. Murli Manohar Joshi, is present over here, because this concerns his Ministry also, as this Ministry, apart from other things, is responsible for empowerment of women. Sir, this is a very important day for half the population of the world totaling about 3 billion, I mean, the women. I take this opportunity to wish you all, the men also, a very happy Women's Day.

From the same place, some six years ago, I had moved a Resolution that was adopted unanimously for the empowerment of women. It led to the formation of the Parliamentary Committee on Women's Empowerment. I had the privilege to be its first Chairperson. This Resolution gave a greater resolve to all the political parties to allocate more tickets to women in elections at all levels. And, in the Congress Party, they took a conscious decision to have 33 per cent reservation at the party level at every stage. From then onwards our fight for greater share in Parliament became stronger. However, every successive Government has been

promising for giving 33 per cent seats to women in Parliament. But so far it remains only a dream. We are thankful to the Government for announcing the last year as the Year for Empowering Women. We expected real empowerment, and not a declaration only on papers. We are very proud of being the largest representative democracy in the world. People idolise of a system and draw inspiration from us. Therefore, when we speak of equal representation for women, people across the globe look at our figures. They question me -- mostly in all the international parliamentary fora -- how our resolve for 33 per cent is still crawling at 8 per cent for the last one decade. A true democracy has to be representative, enthusive and participative. It cannot be representative when 50 per cent of the population is represented by merely 6 per cent of the total seats in the Parliament. All our efforts would remain ineffective unless we are not able to provide basic social security to our women. Women are facing multiple sources of violence. While there is raising concern about the domestic violence that prevents women from exercising their rights, I mentioned here, Sir, that the Bill that the Government is going to introduce in the Parliament on domestic violence against women, is very defective. Our request, through the Chairman, to the Minister is that he should have a second look at the Bill because there are many defects in the Bill, and it has to be sent to the Standing Committee or a Joint Committee of the Parliament for reassessing the Bill.

Terrorism and communal violence make women a soft target of gruesome crimes, not only their modesty is outraged, but also expose them to a hostile social environment. Families are away due to terrorism and communal violence. Where would the women go in such a surge of violence? It is particularly in the interest of women that communalism and terrorism are contained. We seek social peace for women and I hope, Mr. Chairman, Sir, that the whole House will join me in this appeal that I am making on this special day.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : सभापति जी, मैं माननीय नजमाजी का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने आज के दिन यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। सभापति जी, 8 मार्च का दिन सारी दुनिया में न्याय और समानता के लिए लड़ने वाली महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का दिवस है। आज से करीब 9 दशक पहले महिलाओं ने समान अधिकारों की लड़ाई का जो अलख जगाया था, उस का प्रकाश दुनिया में चारों ओर फैल रहा है। महोदय, कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों - संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं के लिए कई उदघोषणाएं व कई कनवेंशन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं की उन्नति की दिशा में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। सभापति जी, जहां तक हमारे देश का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की

घोषणाओं के अनुरूप ही तमाम राज्य सरकारों से यह अपील की गयी थी कि वे भी अपने यहां महिलाओं के लिए सकारात्मक कदम उठाएं ताकि महिलाओं की उन्नति का रास्ता प्रशस्त किया जा सके। उसी दिशा में हमारे यहां भी अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक, स्टेटस कमेटी की रिपोर्ट, नेशनल पर्स्पेक्टिव प्लान की रिपोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रम शक्ति की रिपोर्ट, महिला सशक्तिकरण वर्ष और महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति से लेकर आज तक हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि यथार्थ में उद्घोषणाओं में और व्यवहार में उतना ही अंतर है, जितना कि जमीन और आकाश में। माननीया नजमाजी ने ठीक ही कहा है कि हम उद्घोषणाएं नहीं चाहते है। सिर्फ उद्घोषणाओं तक सीमित रह कर अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं तो जाहिर है कि हमारा उद्देश्य ही अपने आपमें नाकाम हो जाएगा, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति वास्तव में प्रतिबद्ध है तो हमें अपने अंदर झांक कर यह देखना होगा कि हम समाज में महिलाओं की उन्नति के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि आज भी महिलाओं का सशक्तिकरण आर्थिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में नहीं किया गया है? उनको सशक्तिकृत करने के लिए हमने 73वां, 74वां संविधान संशोधन पारित किया, लेकिन 33 फीसदी आरक्षण का विधेयक आज तक अटका हुआ पड़ा है। क्या हम देश के निर्णायक निकायों में, जो सत्ता के निर्णायक निकाय हैं, उनमें महिलाओं को स्थान नहीं देंगे? अगर आज हम तमाम आंकड़ों को देखें, खुशी की बात है कि मानव संसाधन विकास मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि आपके मंत्रालय ने महिलाओं का सशक्तिकरण वर्ष मनाया, लेकिन यह कागजों में जरूर मन गया हकीकत में कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह सिर्फ कागजों में मनाने से नहीं होगा, आप ऐसे कदम उठाइए जिससे महिलाओं का वास्तव में सशक्तिकरण हो।

सभापति जी, पहली बात तो यह है कि हमारी सत्ता के जो निर्णायक निकाय हैं उनमें महिलाओं को स्थान दीजिए। अगर आप उन्हें राजनैतिक सत्ता में स्थान नहीं देंगे तो महिलाओं का सशक्तिकरण पूरा लफ्फाजी बनकर रह जाएगा। आजादी के इन 54 वर्षों में यह महिलाओं का सशक्तिकरण एक कपोल कल्पना बनकर रह गया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है, हमारे मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप इस बात का वायदा करें कि महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का विधेयक आप पारित करेंगे।

सभापति जी, हमारे वित्त मंत्री जी देश का बजट सदन में लाते हैं, लेकिन बजट बनाने के दौरान महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती। अब अगर आर्थिक सत्ता में महिलाओं को महत्व नहीं दिया जाएगा, अगर उनको आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर नहीं होने दिया जाएगा तो महिलाओं के सशक्तिकरण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वित्तमंत्री जी से महिला संगठन बजट के संबंध में चर्चा के लिए समय मांगते हैं कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, हमारा क्या नजरिया है तो हमारे वित्तमंत्री जी के पास से समय नहीं मिलता कि वह महिलाओं से बात करें। जब यहां बजट आता है तो तमाम बोझ महिलाओं पर डाला जाता है, समाज के कमजोर वर्गों पर डाला जाता है और समाज के कमजोर वर्गों में सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं का होता है यानी सबसे ज्यादा बोझ महिलाओं पर पड़ता है। ...(**व्यवधान**) ...

श्री टी. एन. चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश) : हम आपको सपोर्ट करेंगे। कम से कम आज तो आप मीठी बात करें।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मीठी बात कहने से मेरे सीने में जो घाव हैं वह तो भर नहीं जाएंगे। जहां सर्जरी की जरूरत है वहां सर्जरी करनी ही पड़ेगी। आप चाहते हैं कि मैं घाव को ढक दूं तो घाव ढकने से मेरे घाव का इलाज होगा नहीं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगी -

दुख हमें क्या तोड़ेगा हम दुख को तोड़ देंगे।

केवल अपनी आंखें दूसरों के सपनों से जोड़ देंगे।

सभापति जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं के जो सपने हैं, उनके साथ आप अपने को अंगीकार करिए तब कहीं जाकर यह काम होगा।

अन्तिम बात, हमारे देश के महिला संगठन सांप्रदायिकता के खिलाफ, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ अपनी बात कर रहे हैं। किसी भी समाज में अगर सांप्रदायिक विद्वेष हो, अगर धार्मिक कट्टरता हो, अगर फिरकापरस्ती हो, अगर अंधविश्वास हो तो वह समाज महिलाओं के सशक्तिकरण का रास्ता प्रशस्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ, सांप्रदायिक कट्टरता के खिलाफ एक जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की बहुत बड़ी जद्दोजहद की जरूरत है उसमें भी महिला सशक्तिकरण को एक अंग के रूप में जोड़ा जाए।

सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आप महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए आगे आएं। धन्यवाद।

SHRI ARJUN SINGH (Madhya Pradesha): Hon. Chairman, Sir, I rise to support hon. Deputy Chairman's intervention today, which happened to be the Women's Empowerment Day all over the world. Figuratively, we have said everything. The hand that rocks the cradle rules the world. Nothing more could have been said. Now, the time has come when all right thinking people--I am not qualifying it further--wherever they may be, should come forward and make this proverb not only figuratively true, but actively true, because we have seen down the ages that the worst kind of atrocities and inequalities have been perpetrated in this world and they have been overlooked. The worst sufferers being the women of this world.

When enlightenment is the word today, that enlightenment should exhibit itself in real terms in specific areas. If that discrimination from which our women suffer--social, economical and political-- if that discrimination is not lifted, then, all talk about empowerment, Sir, means meaningless. Very meaningful initiatives have been taken, not on political ground, and all sides of this House are convinced about it and, I think, support it.

Why is it that in the final stage, something or the other occurs and all we achieve is only a postponement of it? The time has come when this

kind of postponement should not occur, at least, in this House. Let us begin from here. Whatever has to be done, has to be done. We discuss and we decide. No longer shall these things be put off for the next day, because the next day doesn't come.

This is my humble request to this House. I am sure, each one of us would stand steadfast in our commitment to women's empowerment.

श्रीमती गुरचरण कौर (पंजाब) : माननीय सभापतिजी, महिला सशक्तिकरण दिवस पर आज हमारी उपसभापतिजी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं।

सभापतिजी, 1994 में हमारी पार्टी की ओर से बड़ोदरा में एक अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह प्रण किया था कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए हम विशेष स्थान देंगे, उनको 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे। यह हुआ, उन्होंने अपनी वचनबद्धता निभाई और महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ। बिल बार-बार पेश होता गया और बार-बार उसका विरोध भी होता गया, लेकिन हमारी सरकार ने अपनी वचनबद्धता निभाई और बड़ी दृढ़ता से निभाई। मैं यहां पर किसी सदस्य का या किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, सब जानते हैं कि किन लोगों ने इस महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है।

मैं सभी भाइयों से, सभी पार्टी के सांसदों से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अपनी मानसिकता को बदलें और महिलाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए सब मिलकर इस बिल को इसी सैशन में पास करें, ऐसी मेरी प्रार्थना सभी भाइयों से है।

डा. कुमकुम राय (बिहार) : सभापति जी, माननीय उपसभापति डा. (श्रीमती) नज़मा हेपतुल्ला जी ने इस महत्वपूर्ण दिवस पर 21वीं सदी के इस महत्वपूर्ण संकल्प को प्रस्तुत किया है और आप तमाम लोगों के सामने एक बार फिर से इस पर बोलने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको कोटिशः धन्यवाद देती हूं।

मैं आपके माध्यम से तमाम राजनीतिक दलों को, जिन्होंने समय-समय पर महिला आरक्षण बिल पर पक्ष में या विपक्ष में अपने विचार प्रकट किए, उनको कहना चाहती हूं कि अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं और जिन पार्टियों के मुख्य नेताओं ने कहा था कि 33 प्रतिशत नहीं, सिर्फ 15 प्रतिशत पर हम राजी हैं, उन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों ने भी 15 प्रतिशत आरक्षण देने के वायदे को विगत चुनावों में नहीं निभाया। यह उनकी पोल खोलने वाली बात है। यह प्रमाणित करता है कि बीसवीं क्या इक्कीसवीं सदी भी बीत जाएगी और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर इस बिल को लाने, फैंकने और फाड़ने के बीच में ही यह सिलसिला जारी रहेगा। 2002 क्या, इस शताब्दी का अंतिम समय बीतने तक, कभी भी यह बिल पास नहीं हो सकता और महिलाओं को कभी भी यह अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा यह कहना है कि हमें 'भीख नहीं भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी' चाहिए। हम समाज की आधी आबादी हैं, हमें 33 प्रतिशत नहीं, हमें आधी हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने और पूरे पुरुष समाज ने 33 प्रतिशत पर 3300 नखरे किए हैं। इसलिए यह सम्पूर्ण समाज के लिए अपने आप में एक कलंक है और इस कलंक को धोने का एक मात्र उपाय है कि जिन लोगों ने इस विधेयक के प्रति अपना समर्थन जताया है, इसे वे प्रमाणित करें और सुनिश्चित करें कि इस सत्र में या आने वाले सत्र में

यह विधेयक आए, उस पर बहस हो, चर्चा हो और वोटिंग हो। जिन पार्टियों ने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखे हैं, उन नकाबों को उतारकर हम महिलाएं यह देखें कि उनकी असलियत क्या है। मैं आपके माध्यम से एकमात्र प्रार्थना करना चाहूंगी, हमारे संसदीय दल के नेता बैठे हैं, हमारे मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं, उनसे भी यह कहना चाहूंगी कि इस सत्र में न सही, अगले सत्र में यह बिल आए और इस पर चर्चा हो और सारी पार्टियों की असलियत सामने आए।

SHRIMATI SHABANA AZMI (Nominated): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for this opportunity. Sir, I rise to support the views expressed by the hon. Deputy Chairperson and all the Members who spoke before me. All over the world, Sir, it has now been accepted that empowerment of women is the true yardstick of a society's progress. Men and women are different and this difference needs to be celebrated. I am convinced that when women get truly empowered, they will change the whole notion of power itself, not as one group wielding power on the other but both sharing of power. It has been recognised that education is one of the strongest tools of empowerment. Since the hon. HRD Minister is present here, I would like to take this opportunity to bring to his notice one thing. I was looking at some textbooks for First Standard children. There is a question which repeatedly appears. The question is, मां कहां है, जवाब होता है कि मां रसोईघर में है। पिता कहां है, जवाब होता है कि पिता दफ्तर में है। मैं यह पूछती हूं कि ऐसा क्यों न हो, सवाल हो- मां कहां है, जवाब हो, मां दफ्तर में है। पिता कहां हैं, जवाब हो, पिता रसोईघर में है। यह क्यों नहीं हो सकता कि मां और बाप दोनों रसोईघर में हैं और मां और बाप दोनों दफ्तर में हैं। इस तरह का रोल प्लेईंग हम अपनी पुस्तकों की वजह से अपने बच्चों के अंदर पालते हैं, इसको निकालना जरूरी है। Because oftentimes education merely reinforces gender divide. So, on the one hand, when we say education is important, we should also pay attention to the quality of education. Another point, a tool of empowerment, which is never mentioned, is health. Health is on nobody's political agenda, women's health even less so. In our country, during these 54 years of Independence, the number of women we lose due to pregnancy related issues in one week is more than is in Europe in a whole year. The estimate is that 70 per cent of these deaths are entirely preventable. So, it is extremely important that we take into account the aspect that women's health is very important. The number of women we lose every year is equal to having 300 plane crashes in a year. Can you imagine what would happen if there were 300 plane crashes in a year? The entire Government would fall. But since these are poor women who are dying, nobody is paying attention. So, it is extremely important that we understand that health is a very important tool towards empowerment. I would reiterate here what the Deputy Chairperson has said that the Domestic Violence Bill that has to be brought has lots of

problems, has lots of contentious issues. We must reconsider it before it is brought before Parliament. When it comes to 33 per cent reservation for women, we have to look to the fact that during the Freedom struggle Mahatma Gandhi had mobilised enough number of women, along with men, who marched shoulder to shoulder with them in the Freedom Struggle. So, in the First Parliament, in 1952, we should have had a fair representation of women. But, we had only four per cent of women entering Parliament. But, now, even after fifty-four years of our independence, we find that we have only 8 per cent of women in Parliament. It is not because able women are not there, but it is because they have actively been kept out of the pale of politics. That is why the best thing would be: If we could guarantee equal opportunity, we would not have to guarantee equality of result. But since we are committed to affirmative action, it is extremely important that this Bill which is being stalled for so long is brought before Parliament. And, I am not saying that that will solve all the problems of women; but the political empowerment and political participation of women will make them become important partners in the decision-making process and that is the true tool towards empowerment. Thank you.

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): सभापति जी, मैं शबाना आज़मी जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि "मां कहां है", इस सवाल के जवाब में यह पढ़ाया जाए कि "मां दफ्तर में है, पिता रसोईघर में हैं"। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ाना ही चाहती हैं तो यह पढ़ाएं कि "मां लोकसभा में है" और हम में से बहुत सारे उस समय रसोईघर में नज़र आएंगे।

श्री अर्जुन सिंह : मैं माननीय जोशी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनका जो सुझाव है, उससे एजेंडा में कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसको मान लीजिए।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): सभापति जी, यह इन्हीं के एजेंडा में था, जिसको निकालने के आदेश मैंने दे दिए हैं।

SHRIMATI CHANDRESH KUMARI (Himachal Pradesh): Hon'ble Chairman, Sir, 8th March is the International Women's Day. On this very important day, I would like to wish all the hon. Members a very happy International Women's Day. And I would request them to take a message to the women in their homes that we, the Members of the Rajya Sabha, are taking up their cause for 33 per cent reservation in the Lok Sabha and in the State Legislatures so that our women can get a true representation. We also request our men that, while remembering their lady members in their families, they should take up the cause of women's rights in this year and in

the years to come. Sir, last year was the International Women's Year, and it is really unfortunate that when the whole world was looking to India, hoping that the 33 per cent reservation Bill would be passed and implemented, it did not happen. Unfortunately, all our requests and demands are falling on deaf ears. The present Government had promised in their Manifesto that they would be bringing the Bill, giving 33 per cent reservation for women. But, so far, we see no hope of this Bill coming before Parliament. They only give us lip-sympathy. They do not listen to our demands. Our demand is: If you really want to empower the women, who constitute 50 per cent of your voters, you should pass the Women's Reservation Bill and implement it immediately so that the women's demands and the women's voice can be heard in Parliament. I hope you will also insist that this Bill -- 33 per cent reservation for women -- which we keep on hearing about, will be brought in this Session itself. Thank you.

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात) : सभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदया ने अपनी जो इच्छा जाहिर की है, उस बारे में सभी बहनों ने अपनी इच्छा जाहिर की है, मैं भी अपनी मुहर उसके ऊपर लगाना चाहती हूं। जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, तब से महिलाओं की दशा का चित्रण हमारे उपन्यासकार करते आए हैं और कविताओं में भी लिखा गया है कि -

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।"

वास्तव में अगर देखा जाए तो आज भी महिलाओं की यही स्थिति है। नज़मा जी ने, शबाना जी ने, सरला जी ने, कुमकुम जी ने, गुरचरण कौर जी ने, सबने महिलाओं के बारे में बोला है। आज अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पता लगेगा कि आज भी महिलाओं की स्थिति वहीं की वहीं है। वे दहेज़ के कारण आज भी जलाई जाती हैं, आज भी उनको शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए नहीं दी जाती है कि वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चल सकें। जैसा अभी कहा कि दफ्तर में होनी चाहिए। दफ्तर की बात तो दूसरी है, कम से कम अपनी गली से बाहर निकल पाएं यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जब हम एम्पॉवरमेंट आफ वूमेन कमेटी में जाते हैं तब वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है यह हमने देखी है। भले ही ग्राम सभा में सरपंच बन गई हैं लेकिन इस पुरुष प्रधान देश में आज भी पुरुषों की महिमा है। महिलाएं सरपंच हैं। लेकिन उनकी डोरी उनके पतियों के हाथ में है। जब उनको बड़े-बड़े डिसीजन लेने होते हैं वह स्वयं अपना डिसीजन नहीं ले पाती हैं। उनके पति, उनके भाई या जो भी उनके संबंधी होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें एम्पावर्ड तो कर दिया जाता है लेकिन डिसीजन हमारे हाथ से नहीं हो पाते हैं। यह सबसे बड़ी बात होगी कि हमें डिसीजन मेकिंग के लिए आगे आने देना चाहिए। यहां 33 परसेंट की बात होती है। मैं तो यह कहती हूं कि हम अपनी शक्ति से और आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं और आज जो 33 परसेंट की बात है शायद कुछ वर्षों के बाद हम कहें कि अब हम आधे-आधे तो हैं। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है हमारे मंत्री महोदय यहां बैठे हैं मैं उनसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो हमारा रेशो कम हो रहा है, उसमें भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा रोल है। रेशो एक हजार के बजाय

927 है। तो हमारी डिमांड है कि जो जीव हत्या होती है वह बंद होनी चाहिए। बेल्जियम में जो हुआ था, प्लस फाइव में वहां पर भी यह सारी बातें उठी थी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि यह सब अभी तक ज्यों का त्यों है, यह आगे नहीं आ रहा है। तो मैं आज भी यही कहना चाहती हूं कि अगर महिलाओं को सच में शक्ति देनी है तो उनको पूर्ण रूप से शक्ति दी जाए। केवल एक दिन महिला दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। इतने सालों तक हमें स्वतंत्रता तो नहीं मिली अंधेरे रास्ते में हमें डाल दिया गया है। लेकिन अगर हमें भाइयों का भी साथ मिले तो हम सशक्ति वर्ष सही मायनों में मना सकेंगे। मेरा आप सबसे फिर से यही निवेदन है कि सिर्फ एक दिन मनाने से कुछ नहीं होगा बल्कि महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी चाहिए तभी वह आगे बढ़ पाएंगी और यह जो 33 परसेंट की बात चल रही है मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूर्ण सहयोग है। जब कुछ भाइयों से बात होती है तो यह कहते हैं कि सविता बहन, अगर पत्नी दफ्तर चली गई तो घर में खाना कौन बनाएगा, पति को गरम-गरम चाय कौन पिलाएगा। तो क्या यही स्थिति महिलाओं की रहेगी गरम चाय और खाना बनाने के लिए? तो फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें सब भाइयों का साथ मिले और जैसा कि गुरचरण कौर ने भी कहा है कि सभी पार्टियों का साथ मिले, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा जैसा सरला जी ने कहा कि कागज फाड़ दिए जाते हैं, यह हम मानते हैं लेकिन आगे बढ़ कर इसको अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि पता नहीं कहीं यह बिल अंधेरे में न चला जाए। लेकिन हम सब बहनों की डिमांड है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराया जाए। मंत्री महोदय, संस्कृत में एक श्लोक है कि:

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।'

तो मुझे लगता है कि इसका जो नारा आज हम लगाएं ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उसमें यह भी है कि स्त्री का अधिकार ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सविता शारदा : जी नहीं, सरला जी, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो हमेशा माता पिता च, तो माता पहले आती है पिता बाद में आता है। राधा-कृष्ण - राधा पहले आती है कृष्ण बाद में आते हैं। सीताराम- सीता पहले आती है राम बाद में आते हैं। यह जो हमारा इतिहास है यह शायद आपने पढ़ा नहीं है। ...**(व्यवधान)**...अब शायद इतिहास बदल गया है। ...**(व्यवधान)**... लैला मजनू में लैला आगे है।

सरला जी, मुझे लगता है कि आपने इतिहास नहीं पढ़ा। जब शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ था तब एक महिला ने ही उनको शास्त्रार्थ में हराया था। महिलाओं को वेदों को पढ़ने दिया जाता था, शास्त्रार्थ किए जाते थे। राजा से रानी भी न्याय मांगा करती थी। सभी काम महिलाएं साथ में बैठ कर करती थी। लेकिन अब इतिहास यह है, अब स्थिति यह है कि महिलाओं की स्थिति नीचे हो गई है। यह इतिहास आपने भी पढ़ा है, यह इतिहास हमने भी पढ़ा है। उसी इतिहास को जो हमारा पारम्परिक भारतीय जीवन का इतिहास है, हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं, फिर से राधा-कृष्ण, सीता-राम, करना चाहते हैं, मां-पिता करना चाहते हैं। इसलिए यह जो गृहस्थ जीवन के दो पहिये हैं, उन दोनों को हम सशक्त करना चाहते हैं और उन दोनों पहियों के ऊपर जो गृहस्थ जीवन की गाड़ी चलेगी, तभी बैलेंस्ड हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। इसलिए मंत्री महोदय से मेरी खास विनती है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास किया जाए। धन्यवाद।

PROF. (SMT.) BHARATI RAY (West Bengal) : Sir, I first extend my support to what the hon. Deputy Chairman has said. Under her leadership, we are trying to advance the women's cause in India. But the fact that we are still talking about the year of empowerment of women indicates that they are in a disadvantageous position in our society even today. We, supported by some liberal men -- yes, we, you have to acknowledge that -- have been fighting for the women's rights. Sir, these days, we are not talking of gender equality; we are talking of gender justice. Sir, give us justice. Give us some justice.

As a result of the women's movement, and as a result of the efforts of some women leaders, the women of the upper class and the women of the middle class have indeed made some progress. But the literacy level, the employment-structure, and as you know, the education and health ratio, are all still very disadvantageous towards women.

Most of the points have already been made, so, I will not repeat them. I will refer to one paper which came to me this morning. It is written by Prof. Gopal Guru of the Delhi University. Here he brings out the case of the Dalit women. He says that the Dalit women prefer to get employed in polluting services like scavenging and rag picking because, at least, in that area, they have monopoly. And, at least, in that area, there is no discrepancy between wages, there is no discrepancy between men and women. But, what type of life do they lead? They lead the life of indignity. Not only that, others consider them as beasts, they have also internalised this concept. They consider themselves as beasts. Is this empowerment? Today, on the occasion of International Women's Day, we have to look towards the Dalit women, and share their thoughts and think of their rights.

Sir, I would also like to mention about the recent violence that has taken place. Madam Deputy Chairman, has already referred to it. But, we know that peace is especially women's problem. Men are the bread earners. But, when there is no food at home, the children come to the mother and say "मां खाना दो।" And what did our Nazrul Islam, a poet of Bengal brilliantly write? He said,

Men's sacrifices have been recorded in the history. But it is silent about women's sacrifices, and about what they had to go through. As a Historian myself, I am is ashamed of this silence. Women's woes and women's problems are never really visualized. They are never really brought

out. I, of course, as a Member of the Women's Empowerment Committee -- Madam Deputy Chairman gave the lead to it -- have looked at women in jails, women in the family courts, and looked at the issues of women's employment, education and training. Here, I am absolutely one with what hon. Shrimati Shabana Azmiji has said. How education begins? It aims to socialise women from the day they are born. Even our fairy tales go like this: 'The princess is sleeping and is waiting for the charming prince, riding on a horse...' She has quoted from the textbooks. I can also quote many things. But, I would not like to repeat them.

I would like to reiterate what the hon. Deputy Chairman has said. The Domestic Violence Bill which is being brought forth should be redrafted. It is full of lacunae. A woman activist told me that if this was the Bill that was going to be passed, it would be better not to bring this Bill at all. My colleagues have also mentioned that there is a need for the Women's Reservation Bill. We have said enough. Now, I would like to conclude with only one sentence. We, the women, want our male colleagues, liberal men to give us justice, empowerment and equal opportunities. Thank you.

SHRI P. G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Sir, today being the International Women's Day, I am proud to say that the people of Tamil Nadu have given massive mandate to our party supremo, Dr. Puratchi Thalaivi, to become the Chief Minister of Tamil Nadu. She has faced a lot of untold challenges and ordeals that were purposefully inflicted on her to remove her from politics, but with profound courage, she overcame all those challenges and ordeals. Now she has emerged victorious. As a lady Chief Minister, she has announced a number of schemes for the upliftment of women in Tamil Nadu. Bicycles have been provided to the school-going girls of +1 and +2 standards. At the party level, she has implemented the 33% reservation policy also. We are for the 33% reservation for women. In Tamil Nadu, she announced one more scheme under which five lakh ladies would be given self-employment. Thank you.

†**मिर्ज़ा अब्दुल रशीद** (जम्मू और कश्मीर) : सर, डिप्टी चेयरमैन मोहतरमा नजमा जी ने वूमैन ऐम्पॉवरमेंट के सिलसिले में जो यहां पेश किया, मैं उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। औरत, जिसकी जाति से सारी दुनिया में, सारी कायनात में जिंदगी है, खूबसूरती है, मैं उसके बारे में यूं कहूंगा कि जब मैं दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर्स जब उठते हैं, चाहे अर्जुन सिंह जी हों या इस तरफ से कोई और हो, तो वह यह बिल पास करने की दुहाई देते हैं। सर,

† Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

इस हाऊस को सौ करोड़ इंसान देखते भी हैं और सुनते भी हैं और जब वह यह देखते हैं कि हमारे कौल और फेल में फर्क कितना है, तो क्या वे हमारे इस कौल और फेल में फर्क को समझ कर हम पर शक नहीं करेंगे? इसलिए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आज इंटरनेशनल वूमैन्स डे है, तो आज के दिन दोनों की तरफ के लीडर्स, जिनके पास मैजोरिटी है, इस बिल को पास क्यों नहीं करते? हम चाहेंगे कि इस बिल को पास करें। हम इसकी ताईद करते हैं। दूसरा नुक्ता मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे जम्मू-कश्मीर में सैपरेट कॉन्स्टीट्यूशन है, उस सैपरेट कॉन्स्टीट्यूशन में जम्मू कश्मीर में हमारे चीफ मिनिस्टर, डा0 फारूख साहब ने 33 परसेंट पंचायतों का बिल पास करके पंचायतों के इलैक्शन में 33 परसेंट जो रिजर्वेशन था, इलैक्शन में भी और नॉमीनेशन में भी, वह वहां की वूमैन को दे दिया है और दे चुके हैं। इस सैशन में 33 परसेंट रिजर्वेशन का बिल जम्मू-कश्मीर में पास किया जा रहा है। मैं हाऊस से गुजारिश करूंगा कि अब की बार हमारी जितनी भी काबिल-ए-ऐहतराम भारत में जो पचास परसेंट वूमैन है, उनके साथ मज़ाक न किया जाए और इस बिल को पेश करके पास किया जाए। शुक्रिया।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): Sir, I don't want to have any quarrel with my hon. friend, Shri P.G. Narayanan, but, at the same time, I would like to thank him for the support he has given for the 33% reservation for women. Mr. Chairman, Sir, there should be reservation for women in the political field. And, how it should be worked out has to be decided by way of discussion and debate. The modalities for reservation should not become an impediment to the implementation of the reservation policy. As far as Tamil Nadu and Pondicherry are concerned, there is reservation for women in Panchayat as well as in the educational institutions. Sir, the right to property is one of the important things for the women. In the joint family property, the women are not having any right to the property. So, I would request that there should be a law by which, in the joint family property, the women should be vested with the rights to property.

Sir, the menace of dowry is still prevailing throughout the country; and I submit that the law which has been made for this purpose has to be implemented stringently, in order to prevent the menace of dowry and to prevent the curse and the ordeals and sufferings which the women are undergoing in their in-laws' house.

I would also say that the scanning of the child in the womb to find out whether it is a male child or a female child has to be prevented. I know there is a law for it. But the law should be implemented strictly, and according to the procedures that have been laid down. Sir, if it is done, then, the killing of the foetus in the early stages could be avoided.

Finally, Sir, I would say that the right to property should be implemented urgently in Tamil Nadu. It has to be implemented throughout the country, including Pondicherry.

Sir, I am very happy that on this International Women's Day, we are having a debate in the august House and I could participate in it.

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (सुश्री उमा भारती) : धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज इस सदन में इस महत्वपूर्ण दिवस पर माननीया नजमा हेप्तुल्ला जी ने जो बातचीत की शुरुआत की है, पहले तो मैं उसका पूरा समर्थन करती हूं। दूसरे, जिस तरह से महिलाओं को जहां भी ऑपॉर्च्युनिटी मिली है, उस ऑपॉर्च्युनिटी को जिस तरह से महिलाओं ने साबित किया है, चाहे लोक सभा में हो, चाहे राज्य सभा में हो, आई.ए.एस. में हो, आई.पी.एस. में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो या मेडिकल के फील्ड में हो, जिस तरह से वे हर जगह पर अपने आप को साबित कर रही हैं, उससे एक बात की घोषणा निश्चित रूप से की जा सकती है कि अगर इसी प्रकार से कुछ और अवसर महिलाओं को मिलते गए और ढीक तरीके से उस अवसर का उपयोग करने का एक साहस उनमें जुटता चला गया तो 21वीं सदी महिलाओं की सदी बन जाएगी। लेकिन 21वीं सदी को महिलाओं की सदी बनाने के लिए पहले तो एक त्रिसूत्रीय फॉर्मूला, जिसका पहला मंत्र है सामाजिक सम्मान, दूसरा मंत्र है आर्थिक उत्थान और तीसरा मंत्र है सत्ता में भागीदारी। यदि ये तीनों मंत्र उनको प्राप्त हुए, उनको सामाजिक उत्थान मिला जिसको कि कई माननीय सदस्याओं ने उठाया भी है, आर्थिक उत्थान यानि कि आर्थिक दृष्टि से आज जो महिलाओं की स्थिति है, हमारी सरकार ने महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण देने के लिए सदन में कई बार प्रस्ताव रखा है लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण यह पारित नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊं कि एक महिला होने के नाते और एक गरीब तबके में जन्म लेने के कारण महिलाओं के बारे में मुझे जो अनुभव हुआ है, अगर कभी ऐसा अवसर आया कि भगवान मेरे सामने प्रकट होकर मुझे महिलाओं के हक में एक वरदान मांगने के लिए कहें तो मैं जो वरदान मांगूंगी, वह यह मांगूंगी कि हिंदुस्तान की जितनी भी औरतें हैं, उन्हें आर्थिक तौर पर पुरुषों के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हों। इससे महिलाओं की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है क्योंकि महिलाओं को अधिकतर जो अपमान झेलने पड़ते हैं, उनका यह भी एक कारण है कि वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर नहीं होती हैं बल्कि मैंने देखा है कि कई बार बहुत पढ़ी-लिखी महिलाओं को भी इस वजह से अपमान के दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए जो कविता हमारी एक बहन सुना रही थीं जो सदन की सदस्या हैं, हमारी ही पार्टी की वह राज्य सभा की सदस्या हैं, वे सुना रही थीं कि वास्तव में महिलाओं की ऐसी स्थिति रही है और आज भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की ऐसी स्थिति है। उसी समय मुझे एक दूसरी कविता याद आ गई। जिस कवि ने भी वह कविता लिखी होगी, उसने अपने घर में महिलाओं को बहुत दुखी देखा होगा इसलिए उसने यह लिखा होगा -

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।"

लेकिन अब 21वीं सदी में महिलाएं नई कविता लिखेंगी और वह कविता होगी

"करो नया संकल्प अभी तुम गढ़ लो नई कहानी
या तो जीजाबाई बनना या बनना झांसी की रानी।"

एक नई ही शक्ल होगी 21वीं सदी में महिलाओं की और उसमें भारत की महिलाओं का दुनिया की महिलाओं को इस बारे में रास्ता दिखाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा कि 21वीं सदी में महिला कैसी होगी। जहां भी मौका मिला, इंदिरा जी के समय से हम याद करें, उन्हें जब प्रधान मंत्री बनने का अवसर मिला, आज भी लोग यह मानते हैं, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं और भारत में भी लोग यह मानते हैं कि वास्तव में जब भी अवसर आए, उन्होंने अपने आपको साबित किया। हमारे यहां भी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता रहीं राजमाता सिंधिया। उन्होंने भी बहुत कठिनाइयों का सामना किया। स्वतंत्रता के आंदोलन में भी जब महिलाओं को अवसर मिला, उन्होंने अपने आपको साबित किया और इसलिए आज मैं पूरे सदन में और यहां जो उपस्थित हमारे भाई लोग और बहनें हैं, आपके माध्यम से मैं उनको एक बात कहना चाहूंगी कि इस देश में एक तो वह त्रिसूत्रीय फॉर्मूला जो है आर्थिक उत्थान, सामाजिक सम्मान और सत्ता में भागीदारी का, वह अपनाया जाए। दूसरी चीज यह है कि मैं राजनीति में आने से पहले सामाजिक जीवन में छः सात वर्ष की आयु से थी। मैंने देखा कि जब महिलाओं का रोल तय होता है, जैसा शबाना जी भी कह रही थी, उसमें यह माना जाता है कि या तो वह देवी होती है या फिर दासी होती है। देवी क्यों होती है, इसको भी मैंने बहुत नजदीक से अपनी मां के ही जीवन में देखा है। उसको देवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सबसे आखिर भोजन करती है। बचा हुआ खाना उसको खाने को मिलता है और फटी ओढ़नी उसको ओढ़ने को मिलती है। अगर घर में घी, दूध है तो जब वह छोटी होती है तो उसके हिस्से का घी, दूध उसका भाई खाता है। जब जवान होती है तो वह अपने हिस्से का घी, दूध अपने पति को देती है और जब बुजुर्ग होती है तो अपने हिस्से का घी, दूध अपने बच्चों व नाती-पोतों को देती है। क्योंकि वह निरंतर त्याग करती है इसलिए देवी है। लेकिन जैसे ही वह कहती है कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे स्थान चाहिए तो फिर कई बार वह अपने आप में व्यंग्य का पात्र बन जाती है। इसलिए घोर अपमान का भी पात्र बनती है। इक्कीसवीं सदी में जो त्रिसूत्रीय फार्मूला है उसमें है कि उत्थान हो, सामाजिक सम्मान हो और सत्ता में भागीदारी हो लेकिन स्त्री की तरफ से भी एक एनाउंसमेंट होनी चाहिए कि न मैं देवी बनने के लिए तैयार हूं और न दासी बनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अगर त्याग करवाने के लिए मुझे देवी बनाया जा रहा है तो मैं देवी बनने के लिए तैयार नहीं हूं और दासी बनने के लिए भी तैयार नहीं हूं। स्त्री का रोल होगा प्रगति में, रथ के दूसरे पहिए का जो रोल होता है, वही रोल उसका है। वह न देवी है, न दासी है बल्कि वह रथ का दूसरा पहिया है। सत्ता में, शासन में, प्रशासन में स्वावलंबन में, सभी जगह पर बराबर की भागीदारी और रथ का दूसरा पहिया। इसलिए मैं तो कहती हूं कि जिस प्रकार महिलाएं हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करती जा रही हैं उससे उसकी भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। जब तक युद्ध में शरीर की शक्ति का महत्व था या सत्ता को हासिल करने के लिए जब तक शरीर की शक्ति का महत्व था तब तक तो पुरुष की प्रधानता बनी रही। लेकिन अब तो सारी शक्ति इस तरह से हो गई है कि शरीर की शक्ति का इतना महत्व नहीं रह गया बल्कि बुद्धि की शक्ति का महत्व हो गया है। इसलिए जब बुद्धि की शक्ति का महत्व हो गया है तो इसमें तो स्त्री हमेशा श्रेष्ठ रही है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि आगे सत्ता उसके हाथ में होगी जिसके पास बुद्धि की शक्ति होगी। क्योंकि अब मुद्गर से नहीं लड़ना है, अब तलवार से नहीं लड़ना है, अब गदा से नहीं लड़ना है अगर लड़ाई होनी है तो बटन दबाने से बम विस्फोट हो जाएगा। लड़ाई होनी है तो बुद्धि और अक्ल से होगी। ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : आपका दल यह बताता है कि स्त्री की बुद्धि चोटी के पीछे होती है। ...**(व्यवधान)**...

सुश्री उमा भारती : अब जो लड़ाई होती है, वह अक्ल से होती है और अक्ल के बारे में महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं। इसलिए मैं तो यह घोषणा कर रही हूं कि इक्कीसवीं सदी में लड़ाई का हथियार बुद्धि है और बुद्धि में महिलाएं बहुत आगे हैं। इसलिए इक्कीसवीं सदी महिलाओं की सदी होगी। इक्कीसवीं सदी में भारत की महिला दुनिया की महिलाओं को यह रास्ता बताएगी कि एक संपूर्ण नारी होते हुए भी किस प्रकार से सत्ता में, शासन और प्रशासन में बराबर की भागीदारी की जाती है। इन शब्दों से साथ मैं निश्चित रूप से यह विश्वास रखती हूं कि महिला विधेयक पास होगा और होकर रहेगा। उसमें दलित और पिछड़ी महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूं। इसी के साथ सदन के जितने माननीय सदस्य बोले उसके साथ मैं अपनी बात का समर्थन करती हूं।

श्रीमती जमना देवी बारुपाल (राजस्थान) : सभापति महोदय, श्रीमती नजमा जी के इस प्रस्ताव का मैं तहेदिल से समर्थन करती हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिला सांसदों की गिनती में जो मुझे गिना गया है और मुझे बोलने का जो मौका दिया गया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। जहां तक महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण की बात हम करते हैं तो इसके साथ मैं आपसे गुजारिश करुंगी कि उन अछूत, दलित, पिछड़ी और शोषित वर्ग की महिलाओं को भी इस आरक्षण में सम्मिलित रखने का प्रावधान रखिए क्योंकि इन महिलाओं को जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, बोलने का मौका नहीं मिलेगा तब तक कितने ही कानून आप बना दें, ये महिलाएं इन अधिकारों से वंचित ही रहेंगी। हमारा सशक्तिकरण तभी मजबूत होगा जब हम इन महिलाओं की भागीदारी, इस आरक्षण में देंगे। क्योंकि संसार का यह नियम है शरीर का कोई एक अंग टूट जाता है तो वह शरीर सारे कार्य करने में असफल होता है। अछूत और गरीब महिला भी हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। मैं इसका समर्थन करती हूं और आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Sir, I, on behalf of my party, the Revolutionary Socialist Party, fully endorse and support the views expressed by the Deputy Chairperson. Sir, it is an undisputed fact that the empowerment of women is the need of the hour. So far as the Women's Reservation Bill is concerned, the entire political spectrum of this country is fully supporting the Women's Reservation Bill. I would like to know as to what the hurdle is in moving the Bill for consideration. So many times, this House has discussed the said Bill, but it could not be passed. There was no consensus. That was the argument, which was put forward by the Government.

So far as the POTO is concerned, the Government had convened an All-Party meeting for evolving a consensus. But there was no concensus for passing this Bill. But it had been introduced. The Ordinance has been re-promulgated. I would like to know whether the Government is having the

necessary political will and courage to move the Bill for the consideration of the House. Let us see who will stand in support of the Bill and who is opposing the Bill. My submission is, let the Government show the political will and courage to move the Bill for the consideration of the House, and let the political parties express their views by way of voting also.

There is one more aspect, which I would like to highlight in this House. So far as the question of women's empowerment is concerned, we know from our experience that the woman is facing so many hardships and sufferings. On this International Women's Day, I would like to highlight one thing in this House. In Kerala, the Government employees are on strike. The women teachers, professors and NGOs are being put behind bars on the basis of the black law, that is, the ESMA. These women professors and teachers are put behind bars, even without giving bail to them, and they are being kept inside the jail, alongwith prostitutes, pimps and murderers, and this process is going on everywhere. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please don't refer to that. (Interruptions) Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: On the Women's International Day, I would like to condemn this. (Interruptions) I would also urge upon the Government of India to move the Bill for the consideration of the House. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no. You cant' raise it now. In that case, there are so many other cases. Please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Thank you.

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, सबसे पहले मैं उपसभापति जी का आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का शुभारंभ किया। साथ ही मैं उन तमाम सम्मानित सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज इस दिवस पर भारतीय महिलाओं के उत्थान, उनकी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। मेरा मंत्रालय और हमारी सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक को, महिला और पुरुष को बराबरी के अधिकार देने के पूरे तौर पर समर्थन में है, हम पूरे देश के साथ और सब पार्टियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं श्रीमती शबाना आजमी की इस बात से भी सहमत हूं कि महिलाओं की मुख्य समस्या शिक्षा के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने इसीलिए एक न्यूट्रीशन मिशन की स्थापना के लिए प्रस्ताव किया है और वह न्यूट्रीशन मिशन मुख्य रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के न्यूट्रीशन के लिए, पोषण के लिए उत्तरदायी होगा। हम यह जानते हैं कि जब तक माता स्वस्थ नहीं होगी तब तक कोई संतान स्वस्थ नहीं हो सकती

1.00 p.m.

है। अगर संतान कमजोर है, अस्वस्थ है तो वह पढ़ाई-लिखाई भी पूरी तरह से नहीं कर सकती। इसलिए मां का स्वास्थ्य, होने वाली मां का स्वास्थ्य तथा जन्म लेने वाले बच्चों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जब भी इस मिशन की स्थापना के बारे में, विस्तार के साथ हम यहां रेजोल्यूशन प्रस्तुत करें तो आप समवेत स्वर से उसका समर्थन करें और पूरे तौर पर काम करने और सुविधाएं प्रदान कराने में हमारी मदद करें। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि हमारे समाज की विभिन्न संस्थाओं में अभी तक एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें महिला और पुरुष के बारे में अलग अलग ढंग से सोचा जाता है, समझा जाता है। कुछ काम उनके लिए आरक्षित है और कुछ काम उनके लिए नहीं है। कुछ काम उनके लिए आरक्षित है और कुछ उनके लिए नहीं है। आपको जान कर प्रसन्नता होगी कि हमने पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करते हुए यह भी आदेश दिये हैं कि कोई इस प्रकार का उद्धरण, अथवा पाठ बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिये जिससे उनमें शुरू से ही नारी और पुरुष में लिंग भेद के आधार पर सामाजिक और आर्थिक भेद करने की कोई बात उनके दिमाग में रखी जाए और इसका हम विस्तारपूर्वक विचार भी कर रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि अगर हमारी केन्द्र सरकार की पाठ्य पुस्तकों में ऐसा पाठ उनकी नज़र में आए तो हमें बिना संकोच बताएं, हम उसके बारे में उनके संशोधन को उस स्तर पर भी करने के लिए तैयार रहेंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को उतनी ही सुविधा मिलेगी जितनी पुरुष बच्चों को जब हम सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम शुरु होगा, हमारा वह विधेयक जो लोक सभा में पास हुआ है, आप राज्य सभा में अनुमोदित कर देंगे जिससे कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक और बालिका को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा मिलेगी। महिलाओं के शिक्षा के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार यह आग्रह किया है कि उच्च शिक्षा में उनके लिए विशेष प्रयोजन किये जाने चाहियें और उसके लिए एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें बी.ए. तक सभी बालिकाओं की शिक्षा को निशुल्क करने का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। राज्यों से इस संबंध में बात की जा रही है। जैसे ही आंकड़े मिलते जाएंगे उसके अनुसार उसके आर्थिक उपागम का भी हम प्रबंध करेंगे। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि यदि संभव हो पाएगा तो मैं समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन से इस संबंध में भी बात हो रही है कि हम परिगणित जाति और जनजाति की बच्चियों को जिसे व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, वह भी हम बहुत हद तक निःशुल्क या सब्सीडाइज्ड स्तर पर करा सकें जिससे उन क्षेत्रों में जाने के लिए उन बच्चों को कोई आर्थिक बाधा न आने पाए। इसी प्रकार से जो हमारा...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, since it is 1 o'clock, we are going to continue. There are two more names. We can finish the debate on this issue.

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं चार पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। उनको नीचे से भी शिक्षा ठीक मिले ऐसे स्कूल खोलने के लिए भी हमारी योजना है जो केवल परिगणित जाति और जनजाति की बच्चियों के लिए होंगे और वह आठवीं और दसवीं कक्षा के स्कूलों में भी होस्टल बनाने की योजना बनाने जा रहे हैं ताकि वह वहां रह सकें और उन्हें आने जाने में जो असुविधा या असुरक्षा की भावना होती है वह भी दूर हो सके और बच्चियां वहां रह कर पढ़ सकें।

साथ ही साथ आपको यह भी जान कर प्रसन्नता होगी कि विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश की लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने महिला वैज्ञानिक पुरस्कारों का भी आयोजन किया है जो इस बार भी हम देने जा रहे हैं और वह निरंतर जारी रहेगा जिससे महिला वैज्ञानिकों को हम पुरस्कृत कर सकें। स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रति वर्ष दिये जाएंगे। पिछले वर्ष भी पांच देवियों को दिये गये। इस वर्ष भी दिये जाएंगे और यह निरंतर प्रक्रिया है कि हम ऐसी महिलाओं को जिन्होंने अपने उद्यम से महिलाओं के विकास के लिए उत्थान के लिए काम किया है, हम उनको पुरस्कृत करें, सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष जिन देवियों को यह पुरस्कार दिया गया था उनमें से दो तीन निरक्षर महिलाएं थीं जिन्होंने बिना पढ़े-लिखे होते हुए भी हज़ारों महिलाओं को संगठित कर के उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए काम किया। एक महिला तो पर्यावरण की लड़ाई बराबर लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक से जीती और वह स्वयं निरक्षर थी। इसी प्रकार से केरल और तमिलनाडु की दोनों देवियां जिनको हमने पुरस्कृत किया था वह भी निरक्षर थी। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए और उनकी आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए काम किया था। इसलिए सरकार की यह सुनिश्चित नीति है कि जिन भी क्षेत्रों में और जिस भी ढंग से हम इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी या राजनीतिक भागीदारी जिसको यहां कहा जा रहा है उसमें हम महिलाओं को आगे ला सकें, उसको हम बराबर निश्चित रूप से करते रहेंगे। एक बात मैं सदन से अवश्य कहना चाहूंगा। जहां तक सरकार का प्रश्न है हम इस विधेयक के जो महिलाओं को आरक्षण देने के हक़ में है, हम उसके हक में हैं, पक्ष में हैं लेकिन आपको स्मरण होगा कि जब पिछली बार लोक सभा में उस विधेयक को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी तो किस प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ा था। सम्मानित सदन के सभी लोग शांत चित्त से इतनी अनुमति दें कि विधेयक प्रस्तुत हो तो उस पर चर्चा हो सके और जो कुछ चर्चा के दौरान जिनको कहना है वह कह सकें। मैं समझता हूं कि वह करना जरूरी होगा और सभी लोग इसके लिए मिलकर प्रयत्न करें कि सभी राजनीतिक दल उस विधेयक पर चर्चा करने के लिए तैयार हों और फिर उसको कदम-ब-कदम आगे बढ़ाएं।

एक और अनुरोध मैं करना चाहता हूं जो भ्रूण हत्या के बारे में बात कही गयी, जो घरेलू वायलेंस के बारे में बात कही गयी, घरेलू हिंसा के बारे में बात कही गयी। हमारी सरकार इस मामले में बिल्कुल सारे देश के साथ है, सदन के साथ है कि यह भ्रूण हत्या और विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भ्रूण हत्या बिल्कुल गलत बात है। यह दण्डनीय है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने इस बारे में सभी धर्मों के महान नेताओं को बुलाया था और उनसे यह अनुरोध किया था कि वे बराबर इस बारे में अपने यहां लोगों में सामाजिक और धार्मिक जागृति पैदा करें कि यह अपराध है। फिर चाहे वे किसी हिंदू सम्प्रदाय के हों, मुस्लिम सम्प्रदाय के हों, ईसाई हों, सिक्ख हों, जैन हों, पारसी हों, बोहरा हों। हमने सभी को निमंत्रित किया था और सभी ने एक स्वर से इस बात का समर्थन किया कि यह कार्य अनुचित है, अपराध है और यह नहीं होना चाहिए। तो इस तरफ हम कानूनी स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी जागृति पैदा कर रहे हैं और मैं यह चाहूंगा कि बराबर जब भी कभी ऐसे सम्मेलन हमारे देश में होते हैं उसमें हम इस बात पर ध्यान दिलाएं कि यह भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा अपराध है। यह एक प्रकार से यदि किसी को नर्क पर विश्वास हो और नर्क की बात की जाए तो यह कहा जाए कि सबसे बड़ा अगर कोई नर्क में जाने का अपराध हो सकता है तो वह भ्रूण हत्या है।

घरेलू हिंसा के बारे में सम्माननीय उपसभापति महोदया ने अपने विचार रखे हैं। जब विधेयक सदन में आएगा, उसके बारे में आप विचार करेंगे और अभी भी अगर कोई बात पहले बताएं तो उस पर समय समय पर विचार हो सकता है। पहले तो आप यह देखिए कि जो हमारे पास काफी सुझाव आए थे और जो महिलाओं की संस्थाएं थीं उनसे भी बात करने के बाद हमने इसको बनाया है। फिर भी यह तो एक ऐसा विषय है जिसमें किसी को असहमति नहीं हो सकती है और उस विधेयक में जो ऐसे प्रावधान होंगे जो कानूनी तौर पर संभव होंगे और जो सामाजिक रीति से आवश्यक होंगे उनको करने में सरकार कभी हिचकेगी नहीं।

इसी तरह से चार-पांच और विधेयक हमने तैयार किए हैं जो कानून मंत्रालय के पास विचाराधीन हैं। वे भी सदन के सामने आएंगे। इनमें जो अनैतिक देह व्यापार पर है उसमें हम कुछ प्रावधान ठीक कर रहे हैं। इसी तरह से महिलाओं के साथ श्रम में जो गैर-बराबरी होती है उसको दूर करने के लिए हम बात कर रहे हैं। ये चार-पांच विधेयक इसी रूप में हम ला रहे हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल चार्टर फार चिल्ड्रेन ला रहे हैं। वह भी बालिकाओं के अधिकार सुरक्षित करेगा। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं के उत्थान के बारे में सरकार की तरफ से विचार न हो रहा हो।

एक अनुरोध मैं सदन से जरूर करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे देश में जो सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनका ठीक ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। भारतीय विचार में, पुराने विचार में हमने जो कल्पना की है वह अर्धनारीश्वर की है। एक ही शरीर से दो बराबर के हिस्से निकले हैं, एक पुरुष है और एक स्त्री है। कुछ हमारे यहां धर्म ने जो कल्पना की है शंकर और पार्वती की, वह भी अर्धनारीश्वर के रूप में की है। इसका अर्थ यही है कि दोनों बराबर हैं। कोई उसमें से बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। शबानाजी ने बात कही कि यह शेयरिंग की बात होनी चाहिए, डामीनेशन की नहीं। यही इस अर्धनारीश्वर की भावना है कि कोई किसी को डामीनेट नहीं करेगा। जो पुरानी हिंदू पद्धति से विवाह होते रहे हैं उसमें तो यहां तक है कि उस दिन, शादी के समय पति यह वचन देता है कि मैं जो कुछ कमाकर लाउंगा वह तुम्हें अर्पित करूंगा और तुम्हारी बिना इजाजत के उसको खर्च नहीं करूंगा। लेकिन वह मंत्र संस्कृत में होता है। लोग कई बार उनको समझते नहीं है। उनके बारे में गंभीर चिंतन नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये परंपराएं सामाजिक स्तर पर भी..

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : मंत्र पढ़ने छोड़ दिए हैं। पढ़ने चाहिएं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : जी हां, मैं अभी कह रहा था। मैं तो चाहूंगा। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि उनका अनुवाद लोक भाषा में भी हो ताकि लोगों को पता लगे कि भारत की परंपरा इस मामले में कितनी महान रही है और कितना महिलाओं के प्रति आदरयुक्त रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समय के साथ हमारे समाज में विकृतियां आई हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि एक कालखंड ऐसा गुजरा है कि जिसमें महिलाओं की स्थिति दयनीय हुई है। इसे दूर करना है, इस विकृति को दूर करना है और महिला और पुरुष को इस समाज के, मानव समाज के एक ही रथ के दोनों पहियों के रूप में इसको विकसित करना है और यह मैं मानता हूं। अभी एक सम्मानित सदस्य ने कहा था कि शांति के लिए सब से पहली आवश्यकता यह है कि महिला एक शांत समाज की जनक बने। हिंसा समाप्त होनी चाहिए। मैं यह मानता हूं कि एक अच्छा परिवार विश्व शांति के लिए बहुत आवश्यक है। मेरा इस बात के लिए भी अनुरोध है कि परिवार

संस्था को जरूर हमें बचा कर रखना चाहिए। आज सारी दुनिया, परिवार संस्था जहां जिन्होंने तोड़ दी थी, उसको भी वापस लाने के लिए प्रयत्न कर रही है। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि भारतीय परिवार उत्तम परिवार बने। महिला और पुरुष, दोनों उसके अंदर समान भागीदारी रखें। केवल परिवार में ही नहीं बल्कि राजनीति में, अर्थ व्यवस्था में, सब जगह उनकी भागीदारी हो। इसमें हमारी सरकार को और हमारे मंत्रालय को किंचित भी, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि ऐसा न हो कि हम केवल पश्चिम के अंधानुकरण में बहुत सी बातें कहें, बल्कि भारतीय समाज, भारतीय आवश्यकताएं और भारतीय दृश्य, भारतीय विश्व दृश्य, इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी महिलाओं का स्थान अपने देश में और विश्व के लिए एक आदर्श स्थान बन सके, उसके लिए चेष्टा करें। आज के इस दिन पर, मैं आप सब के साथ मिल कर महिलाओं के इस जीवन में उनको सब प्रकार के अवसर मिलें, वे आगे आयें, देश के हर काम में बराबरी के साथ भागीदारी करें और हर प्रयत्न में सरकार के तौर से, मंत्रालय के तौर से और निजी तौर पर मैं पूरा समर्थन देने का आपके सामने आश्वासन देता हूं। मेरा तो ऐसा परिवार है कि मैं स्वयं महिलाओं की वजह से चला हूं। मुझे मेरी मां ने पाला, मेरे पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, उसके बाद मेरी पत्नी और अब मेरी दो बेटियां हैं। इसलिए मैं तो बिल्कुल महिलाओं के कारण ही आज यहां पर हूं। मैं समझता हूं कि यहां जितने भी पुरुष हैं वे अधिकांश अपनी-अपनी माताओं, पत्नियों, बहनों ... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : आपके साथ महिला मंत्री अटैच्ड हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

डा मुरली मनोहर जोशी : जी, दोनों, वे भी देखिए दोनों महिलाएं हैं। इसलिए इस मामले में मेरी तो विचारधारा ही यह है। लेकिन एक बात देखने की है कि जहां इतनी महिलाएं हैं तो पुरुषों को इतना आगे लाई हैं, वहां बहुत कम पुरुष हैं जो महिलाओं को आगे लाए हैं, जिनकी वजह से कम महिलाएं यहां पर आ पायी हैं। तो इस बात को भी देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से इस विषमता को दूर कर सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है जिसके माध्यम से आपने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं फिर से आपका और सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए इस सदन को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने यह चर्चा उठाई। मैं यह सुझाव दूंगा कि यह चर्चा केवल सालाना कर्म कांड बन कर न रहे बल्कि यह नियमित रूप से व्यवहार में भी आने लगे और सरकार इस मामले में आपका पूरा साथ देगी, पूरा समर्थन देगी। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: There are two names with me, Shri Suresh Pachouri and Shri Ram Jethmalani. I think we can hear them for two minutes each.

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी : आप बिल का तो बता दीजिए।

डा. मुरली मनोहर जोशी : अगर आपकी अनुमति हो ... (व्यवधान)...

श्री सुरेश पचौरी : परम आदरणीय ... (व्यवधान)... जोशी जी, आप दो मिनट बैठ जाएं ताकि आपके मुत्तलिक मैं कुछ कह दूं। ... (व्यवधान)... परम आदरणीय सभापति महोदय, मुझे याद है गत वर्ष भी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ठीक इसी प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत

किया गया था जो अभी किया गया है, जब आप इस सर्वोच्च आसंदी पर विराजमान थे। यह सुखद संयोग है कि हमारे सदन की उपसभापति महोदया डा0 नज़मा हेपतुल्ला के द्वारा, जो आईपीयू की भी चेयरपर्सन हैं, जो 112 वर्षों के बाद पहली बार महिला चेयरपर्सन बनी हैं, उनके द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका इस सदन ने पूरी तरह से समर्थन किया है। मैं भी अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से स्वयं को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जहां तक महिलाओं का प्रश्न है हर क्षेत्र में सम्मानित महिलाओं की जो भूमिका है वह काफी सराहनीय और उल्लेखनीय रही है। इसलिए जब प्रश्न यह आता है कि महिला आरक्षण बिल इस सदन में जल्दी लाया जाए और किस पार्टी का क्या मत है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस बात की पक्षधर है कि महिला आरक्षण बिल शीघ्रातिशीघ्र इसी सत्र में इस सदन में लाया जाए। हम उस का समर्थन करेंगे, इसे कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है। सभापति जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आदरणीय जोशी जी यहां से चले गए हैं। हम चाहते हैं कि आज के दिन वह यह घोषणा करते कि इस सदन में किस तिथि को महिला आरक्षण बिल लाया जाएगा ताकि हम उस बिल का समर्थन कर सकते क्योंकि राजनीतिज्ञों के बारे में यह धारणा बन गयी है कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारी कथनी और करनी में फर्क हुआ करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन मान्यवर, जहां तक हमारी पार्टी का प्रश्न है, मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं और आप के माध्यम से इस सदन को भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी की पहल पर ही नगरपालिका और पंचायत संबंधी संविधान का 73वां और 74वां संशोधन विधेयक लाया गया था। महोदय, पूरा देश जानता है कि जब वह संशोधन विधेयक इस सदन में वोटिंग के लिए लाया गया था तो किन राजनीतिक पार्टियों ने उस का विरोध किया था जिस की वजह से सभी को चुनाव में जाना पड़ा था। फिर कांग्रेस के दौर में ही यह 73वां और 74वां संशोधन बिल लाया गया अर्थात देर आयद, दुरुस्त आयद। सभापति जी, हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिस की महिला अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी एक अकेली राजनीतिक पार्टी जिस ने अपने संगठन में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इसी नीति के अनुरूप हम चाहेंगे कि महिला आरक्षण बिल इसी सत्र में प्रस्तुत हो और कांग्रेस पार्टी उस का अक्षरश: समर्थन करेगी। महोदय, हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब यह बात आती है कि सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है और उस की वजह से आरक्षण संबंधी बिल पेश करने में विलंब हो रहा है तो मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे कई बिल हैं जिन पर सर्वसम्मति नहीं हुई है और वह बिल इस सदन में लाए गए हैं जबकि हम समझते हैं कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महिलाओं की महत्ता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बगैर विलंब इस बिल को इसी सत्र में लाया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी के साथ और सारे माननीय सदस्य जो इस बात के पक्षधर हैं कि महिलाओं का सशक्तीकरण होना चाहिए, महिलाओं को और बलशाली अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, उस का समर्थन कर सकें।

यही मैं अपनी पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Sir, I will not take more than two minutes. One, I fully associate myself with what has fallen from hon. Najmaji. I extend to her not merely the sympathy of words but I also extend to her all assurances for any kind of help and sacrifice that she

would need for sustaining this great cause. But, on this occasion, Sir, I do wish to make one complaint and do wish to give one bit of advice. I had the honour of piloting this Bill in the Lok Sabha when I was a Minister. And when I got up to present the Bill, the Bill was snatched from my hands. Fortunately, I had not kept the Bill in my hand; I had kept some other fake papers. No doubt, I succeeded in tabling the Bill, but there was pandemonium in the House and the proceedings could not go on. I had expected that the hon. lady Members of Parliament and, in general, the women of this country would take up their rolling-pins and strike on the heads of people who bring about the frustration of this greatest measure that has ever been conceived in the legislative history of India. This is one thing.

The second is, let me for a minute only take on the role of gratuitous, free advisor of the gender of women. After all, how is it that the woman in this country lost her paramountcy? There was a time when the entire pantheon consisted only and exclusively of female Gods; there were no male Gods. Slowly, the insidious man, the insidious male, gave every Goddess a male consort. For some time, they lived in equality. But, thereafter, the male God asserted himself and the female God receded into the background and lost her position of primacy and sovereignty. The only Goddess who has been able to retain her position today of independence and sovereignty is Goddess Durga. My advice to the women of this country is that unless you pick up the qualities of that God, you have no chance of recapturing the position which once belonged to you.

Secondly, Sushree Uma Bharti said that women are certainly more intelligent. I have no doubt that they are. It is in that spirit that I had piloted this Bill. I am convinced that if that Bill is passed into law, this Parliament will become more efficacious, more orderly and certainly more colourful. I have no doubt about it. I bow to the superior intelligence of the women, but that intelligence has failed only in one respect, that you have not been able to see through the concealed wickedness and the sweet hypocrisy of men. Unless you see it and resist it fully, you will never succeed in passing this measure, because of all that has been said. When the Bill comes to be presented again, I expect the same hostility to continue, until you have taken sufficient precautions. I am prepared to assist you in all this, but please utilise the services of people whose judgment you can trust. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Just one minute. Hon. Members, now we have to adjourn for lunch. I have before me an item on Supplementary Demands for Grants (Railways) which is to be laid at 2 o'clock. If you all agree, the hon. Minister of Railways could lay it on the Table so that we can adjourn for one hour.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 2001-2002

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): Sir, I lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 2001-2002.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, today morning we decided to suspend the lunch hour so that Special Mentions could be taken up.

MR. CHAIRMAN: No, it was not decided. They did not agree.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Sir, thank you for allowing us to speak on this occasion.

MR. CHAIRMAN: So, we adjourn for one hour.

The House then adjourned for lunch at twenty-two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock,

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : Now, we will take up Private Members' Resolutions. Shri Chitharanjan - absent. Shri Nagendra Nath Ojha.

RESOLUTION RE. PATHETIC SOCIO-ECONOMIC STATUS OF RURAL WOMEN

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि :

'यह सभा गांवों में महिलाओं की शोचनीय सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह ग्रामीण महिलाओं,